छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

क्रमांक 02 / वि.स. / सं.–27 / 2012 रायपुर, दिनांक 25.9.2012

/ / फेक्स एवं फोटोकॉपी मशीन क्रय हेतु निविदा / /

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय फेक्स मशीन तथा फोटो कॉपी मशीन हेतु पंजीकृत प्रतिष्ठित फर्मो से दिनांक 23 अक्टूबर, 2012 को सायं 4:00 बजे तक निविदाएं आमंत्रित करता है । निविदा की विस्तृत शर्तें / जानकारी सचिवालय की संपदा शाखा से प्राप्त की जा सकती है अथवा विधानसभा सचिवालय की वेबसाइट www.cgvidhansabha.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

अपर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा.

// निविदा की शर्ते/जानकारी//

1. मशीनों की दरें प्रति नग समस्त कर सहित तथा दरों की वैद्यता अवधि उल्लेखित करते हुए देनी होगी ।

2. बाय बैक ऑफर, यदि कोई हो, के साथ भी दरें प्रस्ततु की जा सकती है । इस हेतु पुरानी मशीनों का अवलोकन कार्यालयीन समय पर सचिवालय के संपदा शाखा में किया जा सकता है ।

3. निविदाकार्ता डी.जी.एस. एण्ड डी. की दरें, यदि कोई हो तो, भी प्रस्तुत कर सकेगा ।

4. निविदाकर्ता को प्रस्तावित मशीन का ब्रोशर भी संलग्न करना होगा । फेक्स मशीन के संबंध में मेमोरी साईज, ट्रांसमीशन टाईम, ऑटोमेटिक डाक्युमेंट फीडर केपिसिटी, पेपर ट्रे केपिसिटी/साईज, इनपुट डॉक्युमेन्ट साईज, ए–4 ऑटोमेटिक फीडिंग, कन्ट्रास्ट कन्ट्रोल, रिसेप्शन मोड, माडम स्पीड, ट्रांसमीशन टाईम तथा फोटो कॉपी मशीन के संबंध में रिसोल्यूशन, जूम, कम्प्युटर कनेक्टिविटी, मेमोरी साईज, डूपलेक्स सुविधा, ऑटोमेटिक डाक्युमेंट फीडर, ट्रे केपेसिटी (बायपास ट्रे सहित), स्केनिंग की जानकारी स्पष्ट देनी होगी ।

5. मशीनों के वार्षिक रख–रखाव दर का पृथक उल्लेख करना होगा ।

6. मशीनों की गारंटी/वारंटी अवधि का उल्लेख करना होगा ।

7. यदि आवश्यक हुआ तो मशीनों का डेमो सचिवालय में करना होगा, जिसका व्यय सचिवालय द्वारा देय नहीं होगा ।

8. निविदाकर्ता का वाणिज्य कर पंजीयन अनिवार्य होगा ।

9. निविदाकर्ता को विगत तीन वर्षों का आयकर चुकता प्रमाण–पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।

10. अधिकृत विक्रेता प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगी ।

11. मशीनों के संचालन का प्रशिक्षण सचिवालय के कर्मचारी को निशुल्क देना होगा ।

12. मुहरबंद निविदा के साथ अमानत राशि रूपये में राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक का राशि रूपये 5000/– (रूपये पांच हजार मात्र) की एफ.डी. (सावधि जमा) सचिव , छत्तीसगढ़ विधानसभा , रायपुर के नाम से देय संलग्न करना होगा । चयनित फर्म की एफ.डी. गारंटी/वारंटी अवधि के पश्चात् वापस किया जाएगा ।

13. लगभग 06 फेक्स मशीन एवं 01 फोटोकॉपी मशीन क्रय किया जाना विचाराधीन है । सचिवालय द्वारा क्रय आदेश प्रदाय की तिथि से अधिकतम 20 दिवस के अन्दर वांछित सामग्री सचिवालय में स्वयं के व्यय पर अनिवार्यतः पहुंचाना होगी ।

14. आदेशित सामग्री निर्धारित गुणवत्ता में निर्धारित समयावधि में प्रदाय न करने पर जमा की गई अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी ।

15. निविदा प्रस्ताव विधानसभा भवन स्थित अनुभाग अधिकारी , संपदा शाखा कक्ष क्रमांक–बी–7 के पास दिनांक 23.10.2012 अपराह्न 4:00 बजे तक जमा किया जा सकता है । निर्धारित समय–सीमा के पश्चात प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं होगी ।

16. निविदा को मान्य या अमान्य करने का प्राधिकार सचिव , छत्तीसगढ़ विधानसभा को होगा ।

––00––